(61)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 220–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–11–2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 253/15–16/अपील.

रमेश पुत्र प्रभुदयाल किरार
निवासी बड़ागांव
तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1– रामकली बेवा जनवेद
2– मंगल सिंह पुत्र स्व. जनवेद
3– मातादीन पुत्र स्व. जनवेद नाबालिग
सरपरस्त मां रामकली बेवा जनवेद
निवासीगण ग्राम मोहना
तहसील व टप्पा घाटीगांव जिला ग्वालियर
4– कमलकिशोर पुत्र विष्णुदत्त
5– परमानंद पुत्र गौरीशंकर
6– महेश, संतोष पुत्रगण रामजीलाल
7– शिवदेवी पत्नी गोपाल सिंह गुर्जर
8– प्रीतम सिंह, करन सिंह, महेश पुत्रगण सवाईलाल
9– बलराम, बृजमोहन पुत्रगण रामचरण
10– रामप्यारी बेवा मेहरबान
11– कुमेर सिंह व्यस्क, रामनिवास, रामभरत, सतेन्द्र नाबालिग
पुत्रगण मेहरबान सिंह सरपरस्त मां रामप्यारी
निवासी मोहना
12– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, ग्वालियर
13– मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा अभिभाषक अनावेदक क. 13

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय घाटीगांव जिला ग्वालियर के समक्ष ग्राम बड़ागांव स्थित सर्वे क्रमांक 1653 मिन रकबा 0.627 हेक्टेयर भूमि के बटांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अपर तहसीलदार, वृत्त घाटीगांव द्वारा दिनांक 2–12–15 को बटांकन आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, घाटीगांव जिला ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–4–16 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की जाकर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–11–2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही की जाकर बटांकन आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि यदि अनावेदकगण बटांकन आदेश से असहमत थे तब उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि में से भूमि विक्रय नहीं करना चाहिए थी, परन्तु उनके द्वारा भूमि विक्रय किये जाने से स्पष्ट है कि वे बटांकन से सहमत थे, इस तथ्य पर बिना विचार किये अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बटांकन आदेश निरस्त करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा तहसील न्यायालय के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि यदि बटांकन आदेश विधिवत नहीं था, तब स्वयं अनुविभागीय अधिकारी को जांच

कर आदेश पारित करना चाहिए था । उनके द्वारा बटांकन आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 13 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त का आदेश विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

5/ आवेदक के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अनावेदक कमांक 13 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेशों को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपने आदेश में जो आधार लिये गये हैं, वह उचित हैं लेकिन तहसील न्यायालय द्वारा जिन खसरा नम्बरों के फर्द बटांकन में दर्शित रकबे एवं नक्शे में भिन्नता थी, तब उन्हें इस सम्बन्ध में या तो स्वयं जांच करना चाहिए था अथवा जांच हेतु प्रकरण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित करना चाहिए था । वैसे भी राजस्व अभिलेख को दुरूस्त करने का दायित्व राजस्व अधिकारियों का भी है । अतः इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता हे कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जायें एवं प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तितं किया जाये कि वे सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः बटांकन की कार्यवाही करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–11–2016, अनुविभागीय अधिकारी, घाटीगांव जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–4–16 एवं अपर तहसीलदार, वृत्त घाटीगांव द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–12–15 निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसील न्यायालय को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर